

क्रम संख्या— 54(क)

पंजीकृत संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018—20

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 12 अप्रैल 2016 ई0

चैत्र, 22 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 182 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2018

देहरादून, 12 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान विधेयक, 2018 को दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2018 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान

अधिनियम, 2018

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या: 16 वर्ष
2018}

(उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में अधिनियमित)

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना तथा संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों एवं अकादमियों की व्यवस्था के लिये—

अधिनियम

अ

६

या

य

—

1

प्रा

रि

म

T

क

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ परिभाषाएं भाषा संस्थान की स्थापना	1. 2. 3.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 है। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— (क) “संस्थान” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अभिप्रेत है; (ख) “अधिसूचना” से उत्तराखण्ड सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; (ग) “साधारण सभा” से संस्थान की साधारण सभा अभिप्रेत है; (घ) “समिति” से भाषा संस्थान प्रबंध कार्यकारिणी की समिति अभिप्रेत है; (ङ) “सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है; (च) “विहित” से अधिनियम के अधीन विहित नियम एवं प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं; (छ) “अकादमी” से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी अभिप्रेत है; (ज) “राज्य” से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है; (झ) “गैर सरकारी सदस्य” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी संगठन/संस्था का प्रतिनिधि हो किन्तु सरकारी सदस्य न हो; (ञ) “अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष” से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिप्रेत है; (ट) “निदेशक” से भाषा संस्थान के निदेशक अभिप्रेत है; (ठ) “उप निदेशक” से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी के उप निदेशक अभिप्रेत है; (ड) “सदस्य” से साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य अभिप्रेत है; (ड) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है; अध्याय—2 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाषा संस्थान का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के नाम से जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा।
--	-------------------------	--

भाषा संस्थान की समिति संरचना प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की संरचना अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के कर्तव्य एवं शक्तियां	4. 5. 6.	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा की संरचना निम्नानुसार होगी:- (क) मा0 मुख्यमंत्री अध्यक्ष (पदेन); (ख) मा0 भाषा मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष (पदेन)(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपाध्यक्ष; (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य (पदेन); (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य (पदेन); (च) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य (पदेन); (छ) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य (पदेन); (ज) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किन्हीं दो सदस्य ; विश्वविद्यालय के कुलपति (झ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के ऐसे 12 सदस्य ; भाषाविद् एवं संबंधित विषयों के साहित्यकार, जैसा विहित किया जाय, (ञ) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी सदस्य (पदेन); (ट) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान सदस्य (पदेन); (ठ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान सदस्य सचिव (पदेन)। प्रबंध कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्नवत होगी:- (1)अध्यक्ष- मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड; (2)कार्यकारी अध्यक्ष- प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन; (3)सदस्य- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन; (4)सदस्य- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन; (5)सदस्य- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन; (6)सदस्य- सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी; (7)सदस्य- उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित संस्थान में साहित्यकारों में से तीन (03); (8)सदस्य- वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी। (क) प्रबंध कार्यकारिणी समिति सरकार को इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न समस्त प्रकरणों पर परामर्श देगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगी, जो विहित किये जायें; (ख) सामान्यतः या किसी प्रयोजन के लिये संस्थान के कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु एक या अधिक उप समितियों का गठन करना; (ग) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिये समय-समय पर नियम बनाना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना; (घ) संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम एवं योजनाओं को पारित करना; (ङ) संस्थान के प्रयोजन के लिये किसी सम्पत्ति को क़य करना (विनिमय करना), किराये पर लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योंपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।
--	----------------	---

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना बैठक, निर्णय एवं गणपूर्ति भाषा संस्थान के अंतर्गत अकादमियों की स्थापना संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी गण	7. 8. 9. 10. 11.	(क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य अपने नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिये पद धारण करेगा: परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा; (ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटाने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा; (ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिये न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो। किसी रिक्ति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य के अवशेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा। (क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक त्रैमासिक होगी, परन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है; (ख) बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/2 होगी, जिसमें संस्थान का वार्षिक बजट, कार्यक्रम एवं योजनाएं प्रस्तुत और पारित की जाएंगी; (ग) संस्थान की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। मतों की समानता की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा; (घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो। राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न समुदाय की भाषा एवं बोलियों के विकास एवं संवर्धन हेतु संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित अकादमियां होगी, जो संस्थान की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी :- (क) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी; (ख) उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी; (ग) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी; (घ) उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी। उपर्युक्त अकादमियों का संचालन धारा 11 के प्रावधानों के अधीन होगा। (क) साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय एवं कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये संस्थान में एक निदेशक की नियुक्ति कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जायेगी, जो कि अपर सचिव स्तर से न्यून न हो; (ख) निदेशक, संस्थान के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण करेगा। निदेशक के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा; (ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपर्युक्त प्रत्येक अकादमी में उप निदेशक की
--	---	--

संस्थान की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना संस्थान के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण संस्थान की शक्तियां और उद्देश्य लेखों का रख-रखाव	12. 13. 14. 15.	नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। उप निदेशक, निदेशक के अधीन संबंधित अकादमियों का संचालन करेगा। उप निदेशक के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण भी इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा; इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा 10 में उल्लिखित अकादमियों में उप निदेशक के पद राज्य सरकार पृथक रूप से कार्य, दायित्व एवं आवश्यकता के आधार पर सृजित करेगी। (घ) राज्य सरकार संस्थान के कार्यों के समुचित निस्तारण के लिये ऐसी संख्या में ऐसे वेतनमान पर पद सृजित करेगी जैसा समय-समय पर विहित किया जाय ; (ङ) संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय। संस्थान का कोई कार्य इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि:- (क) संस्थान के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; (ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या (ग) ऐसी कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है, जिसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्थान के सभी विनिश्चय और आदेश निदेशक द्वारा अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे। निदेशक आवश्यकतानुरूप अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रतिनिधायन भी कर सकेगा। अध्याय-3 संस्थान की शक्तियां, उद्देश्य और कार्य का आवंटन (क) संस्थान कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण राज्य में कार्य करेगा और भाषा संबंधी योजनाओं एवं क्रियाकलापों का संचालन करेगा एवं आवश्यकतानुसार राज्य के हित में भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में भी भाषा संबंधी कार्य करेगा; (ख) संस्थान के विस्तृत उद्देश्यों एवं कार्यों का निर्धारण इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों द्वारा किया जायेगा; (ग) संस्थान ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी समय-समय पर विहित की जायें। अध्याय-4 वित्त एवं लेखा (क) राज्य सरकार द्वारा वित्त एवं लेखा सेवा के एक ऐसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के सम्बन्ध में उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण एवं बैलेस शीट तैयार कराएगा तथा अन्य वित्त संबंधी कार्य करेगा;
--	---	---

वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण नियम बनाने की शक्ति सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण	16. 17. 18. 19.	(ख) संस्थान के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी। अध्याय—5 प्रकीर्ण संस्थान प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट को प्रतिवर्ष विधान सभा पटल पर रखा जाएगा। यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है, निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी संस्थान की किसी भी अकादमी/शाखा का निरीक्षण कर सकेंगे। (1) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेंगी या उन्हें संशोधित कर सकेंगी। (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे। (3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियम शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे। संस्थान अथवा उसके किसी अकादमी के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
---	------------------------------------	--

THE UTTARAKHAND LANGUAGE INSTITUTIONS ACT, 2018

[UTTARAKHAND ACT NO. 16 OF 2018]

[Enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-Ninth year of the Republic

of India]

AN

ACT

to establish the Uttarakhand Language Institution and to provide the Academies

and the connected and incidental matters thereof;

CHAPTER-1

Preliminary

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Language Institutions Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires -

(a) “**Institution**” means the Uttarakhand Language Institution

constituted under section 3 of the Act;

(b) “**Notification**” means the Notification published in the

(c) “**General body**” means the General body of the Institution;

(d) “**Committee**” means the Managing Executive Committee of the Language Institution;

(e) “**Government**” means the State Government of Uttarakhand;

(f) “**Prescribed**” means the prescribed rules and procedures under the Act;

(g) “**Academy**” means the Uttarakhand Hindi Academy, Uttarakhand Urdu Academy, Uttarakhand Punjabi Academy and Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect) Academy.

(h) “**State**” means the State of Uttarakhand;

(i) “**Non-official member**” means such person who is representative of any Government Member; organization/institution but not

(j) “**Chairman, Executive Chairman and Vice-chairman**” means the Chairman, Executive Chairman and Vice-chairman of the Uttarakhand Language Institution;

(k) “**Director**” means the Director of the Language Institution;

(l) “**Deputy Director**” means the Deputy Director of the Uttarakhand Hindi Academy, Uttarakhand Urdu Academy, Uttarakhand Punjabi Academy and Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect) Academy;

(m) “**Member**” means the members of the General body and Managing Executive Committee;

(n) “**Year**” means the financial year;

CHAPTER-II

Establishment of the Uttarakhand Language

Institution Establishment of the soon as may be after the **Language Institution** shall constitute a Language the purposes of this Act, which Uttarakhand Language Institution, whose Dehradun.

3. The State Government, as commencement of this Act, Institution for the fulfillment of shall be known as the head-quarter shall be in

Committee shall **Composition of the**

4. The General body of the Uttarakhand Language Institution be constituted as follows,-

Language Institution

- (a) Hon'ble Chief Minister- Chairman (ex-officio);
- (b) Hon'ble Language Minister- Executive Chairman (Ex-officio);
- (c) An Eminent person nominated by the State Government- Vice-chairman;
- (d) Principal Secretary/ Secretary, Finance, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
- (e) Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
- (f) Principal Secretary/ Secretary, Language, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
- (g) Principal Secretary/ Secretary, Planning, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
- (h) Vice-chancellor of any two Universities nominated by the State Government- Members;
- (i) such 12 linguist and litterateur of relating subjects of the Country and State nominated by the State Government, as may be prescribed- Members;
- (j) Secretary, Uttarakhand Sanskrit Academy- Member (ex-officio);
- (k) Senior Finance Officer, Uttarakhand Language Institution- Member (ex-officio);
- (l) Director, Uttarakhand Language Institution- Member-secretary (ex-officio).

Composition of Managing Executive Committee

5. The Managing Executive Committee shall be constituted as follows-

- (1)Chairman- Chief Minister/Language Minister, Uttarakhand ;
- (2)Executive Chairman- Principal Secretary/ Secretary, Language Department, Government of Uttarakhand;
- (3)Member- Principal Secretary/ Secretary, Finance, Government of Uttarakhand;
- (4)Member- Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand;

(5)Member- Principal Secretary/ Secretary,
Planning,
Government of Uttarakhand;

(6)Member – Secretary, Uttarakhand Sanskrit Academy;

(7)Member- Three (03) litterateurs of institutions
nominated by the Government of Uttarakhand;

(8)Member- Senior Account officer, Uttarakhand Hindi
Academy.

**Duties and powers of
the Chairman,
Executive
and
Chairman,
as
chairman
Members**

6. (a) The Managing Committee shall advise the
State Government on all matters arise under this Act
shall exercise such other powers and perform the duties,
may be prescribed;

(b) To constitute one or more sub committees, generally or for
any purposes, for the implementation of the business of the
institution;

(c) To make rules from time to time for their conduct of
business and administration, their compliance and
modification;

(d) To pass programs and plannings according to the objectives
of the Institute.

(e) To purchase any property, to exchange, to take on rent or to
acquire or their disposal or to get property as a gift and to
intimate the State Government after these functions for the
purpose of the Institution.

**Term of office and
service conditions of
institution
the Members**

7. (a) Every Member of the General Body and Managing
Committee in addition to ex-officio member of the
shall hold the office for three years from the date of his
nomination;

Provided that any person who is member as a
representative of any organization shall not remain
member on cessation of his representation by such
organization.

(b) The member may resign his office any time by writing
under his hand addressed to the state Government in case
of withdrawal from the membership of the Institution.

(c) Any member of the Institution, shall not remain
member if he dies, becomes of unsound mind or declared

undischarged insolvent or convicted by the court for an offence related to moral turpitude.

Filling the vacancies	casual of the	8.	The person nominated by the State Government in any vacancy shall hold the office for the remaining tenure of the Members predecessor member.
Meeting, decision and committee quorum meeting		9.	(a) The meeting of General Body and Management shall be held quarterly but if deemed necessary than the may be convened any time. (b) The quorum of meeting shall be half of total number of members in which the annual budget, the programs and plannings of the Institution shall be presented and passed. (c) The determination of all matters in any meeting of the institution shall be decided by the majority of the members present and voting. In case of equality of the vote, the vote of presiding member shall be casting vote; (d) In absence of Chairman, the Executive Chairman, in absence of Executive Chairman, the Vice-chairman and in absence of Vice-chairman, such member who is nominated by the Chairman, shall preside the meeting.
Establishment of Academies under the Language Institution approval branches		10.	For development and promotion of language and dialect of various communities in the State, the following Academies shall be constituted under the Institution with the prior of the State Government, which shall be functioned as of the Institution- (a) The Uttarakhand Hindi Academy; (b) The Uttarakhand Urdu Academy; (c) The Uttarakhand Punjabi Academy; (d) The Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect) Academy. The functions of the above said Academies shall be under the provisions of section 11.
Officer and Staff of Institution		11.	(a) A Director for the Institution shall be appointed by the the Personnel Department, Government of Uttarakhand, for the implementation of functions and decision taken by the General Body and managing committee, who is not below the rank of Additional secretary; (b) The Director shall control the general administration of Institution. The determination of functions and duties of the Director shall be specified by the rules or regulations made under this Act. (c) For the purposes of this Act, a Deputy Director shall be appointed by the State Government in every a foresaid Academies. The Deputy Director shall operate the

concerning academies under the Director. The determination of functions and duties of the Deputy Director shall also be specified by the rules or regulations made under this Act;

For the purposes of this Act, the post of Deputy Director in academies mentioned in section 10 shall be created by the State Government separately on the basis of functions, duties and necessity.

(d) For the appropriate disposal of the functions of the institution, the State Government shall create such number of posts on such pay scale as prescribed from time to time;

(e) The pay, allowances and service conditions of the officers and employees of the Institution shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time.

Proceedings of the institution not to be invalidated 12. No work or proceeding of the Institution shall be deemed to be invalid merely on the ground of –

Institution;

affecting the

Authentication of the orders of the Institution

- (a) any vacancy or defect in the constitution of the
- (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof; or
- (c) any defect or irregularity in such proceeding not substance.

13. All the decisions and orders of the Institution shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorised by the Director for this purpose. The Director may also delegate his duties and powers as per necessity.

CHAPTER-III

Powers, objectives and allocation of work of the

Institution Powers and objectives

shall act in whole of State as a nodal of the Institution conduct the language relating planning and conduct language related works in Territories of the India in the necessity;

14. (a) The Institution institution and shall implementation and shall also the various States and Union interest of the State as per

(b) The determination of detailed objectives and functions of the institutions shall be determined by the rules and regulations made under this Act;

(c) The institution shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed from time to time.

CHAPTER-IV**Finance and Account**

- Maintenance of Accounts** who relating statement accounts.
- 15.(a)** One such Senior Account Officer shall be appointed from the Finance and Accounts services by the State Government shall be responsible for appropriate accounts and other record of the institution. He shall also prepare annual and balance sheet and conduct other financial work of
- (b) The audit of the account of the Institution shall be done annually by the Auditors appointed with the permission of the State Government.

CHAPTER-V**Miscellaneous**

- Annual Report** in which the **Inspection** inspect this under it **Power to make rules** make may Government.
- 16.** The Institution shall prepare an annual report every year, such form and in such manner as may be prescribed, in correct and full details of affairs of previous year shall be given. The annual report shall be laid before the house of State Legislative Assembly every year.
- 17.** The Director or any officer authorized by him may any Academy/branches of the Institution to satisfied that Act and the provisions of rules and regulations made are complied with.
- 18.** (1) The General Body and Management Committee may rules for the implementation of the object of this Act and amend them with the prior approval of the State
- (2) The rules made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act.
- (3) The rules made under this section shall be laid before the Legislative Assembly as soon as possible.
- Protection of action taken in good faith** which Act.
- 19.** No suit, prosecution or other proceeding may lie against Institution or any person of any Academy for any act is in good faith done or intended to be done under this

-----x-----
